तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या :– 80/2024

राधा देवी वगै0 बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/1/25

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जमीन ख. नं. 213 रकबा 0.85 है0, खसरा नं. 214 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 220 रकबा 0.71 है0, खसरा नं. 221 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 222 रकबा 0.37 है0 तथा खसरा नं. 223 रकबा 0.67 है0 कुल खसरे 6 का कुल रकबा 3.11 है0 राजस्व ग्राम सोती पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं में अवस्थित है। आवेदकगण उक्त जमीन के खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है। परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा लापरवाही वश रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवेदकगण के पिता व पति का नाम रामकुमार पुत्र जोरावर दर्ज हो गया जबकि आवेदकगण के पिता व पति का वास्तविक नाम औंकारमल पुत्र जोरावर है जिसे दुरूस्त किया जाये। इसके अलावा राजस्व ग्राम बुडाना के हाल भूमि खसरा नं. 1107/208 में आवेदक नं. 3 के नाम दर्ज भूमि में उसके पिता का नाम औंकारमल ही था। अतः आवेदकगण के पिता का नाम की राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा राशन कार्ड व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण के पिता का वास्विक नाम औंकारमल ही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सोती तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि ख. नं. 213 रकबा 0.85 है0, खसरा नं. 214 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 220 रकबा 0.71 है0, खसरा नं. 221 रकबा 0.31 है0, खसरा नं. 222 रकबा 0.37 है0 तथा खसरा नं. 223 रकबा 0.67 है0 कुल खसरे 6 का कुल रकबा 3.11 है0 में आवेदकगण के पिता व पति का नाम रामकुमार पुत्र जोरावर के स्थान पर औंकारमल पुत्र जोरावर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

22/1/25

(हवाई सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं